न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—466/2019/225 (2019/00466)

1. श्रवणसिंह पुत्र स्वरूपसिंह,
2. दातारसिंह पुत्र स्वरूप सिंह,
3. सूरज पुत्र स्वरूप सिंह,
4. भवानीसिंह पुत्र स्वरूप सिंह,

सर्व जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलमास, तह0 अरांई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जोरसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलमास, तहसील अरांई, जिला अजमेर । (फौत)
2. गणपतसिंह पुत्र स्व0 कल्याणसिंह,
3. शंकरसिंह पुत्र स्व0 गोपालसिंह,
4. उप पंजीयक, अरांई, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 27.11.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 98/2017.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री कुश कुमार सिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5 .

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 27.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस की संयुक्त कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम अलमास पटवार क्षैत्र चौसाला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अरांई तहसील अरांई, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 141 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा है जिस पर अपीलांटस के पूर्वाधिकारी स्वरूपसिंह विगत 60—70 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे थे । पूर्वाधिकारियों के फौत होने के पश्चात् अपीलांटस सतत् रूप से

काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण उपरोक्त आराजी में अपीलांटस को खातेदारी घोषणात्मक डिक्री बहक अपीलांटस/वादीगण विरूद्ध रेस्पो0 फरमायी जावे । उक्त वाद के साथ अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का प्रस्तुत किया तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 के आधार पर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम किया गया । अपीलांटस ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस इस न्यायालय में पेश की है ।

3. रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस के पूर्वाधिकारी एवं अपीलांटस विवादित आराजी पर सतत् रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी पुष्टि लगान की रसीदें क्रमशः दिनांक 6.1.1994, 7.1. 1995 एवं 7.1.1999 से होती है परन्तु अधी0न्याया0 ने दस्तावेजों एवं तथ्यों की विवेचना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में प्रश्नगत आराजी के अतिरिक्त खसरा नंबर 93 रकबा 3 बीघा एवं खसरा संख्या 214 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि भी अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है इसमें अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इन सभी वास्तविक तथ्यों का प्रकटीकरण अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष कर दिया था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीन महत्वपूर्ण घटकों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । तहसीलदार, अरांई द्वारा धारा 135(2) के निर्णय के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 व अन्य के पक्ष में तथाकथित फर्जी व कूटरचित अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 13.6.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया था एवं इस निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज कर दिया तत्पश्चात् तहसीलदार, अरांई द्वारा भूमि विवादित लगने पर स्वतः ही प्रार्थीगण/अपीलांटस का कब्जा मानते हुए खसरा नंबर 141 को छोड़ते हुए राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के पक्ष में दिनांक 21.6.2017 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया इसके बावजूद भी तहसीलदार, अरांई द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर दिया गया जिसके लिये से अवमानना याचिका अधी0न्याया0 में विचाराधीन है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के तहत पक्षकार संयोजित किये गये है जबकि धारा 135 (2) के तहत रेस्पो0 संख्या 2 व 3 एवं अन्य कुन्दनकंवर, धर्मवीरसिंह, मेमकंवर, हेमकंवर, खेमकंवर, राजवीरसिंह, चन्द्रकांता, लवदीपसिंह के नाम धारा 135 (2) के तहत निर्णय पारित किया गया जिसमें पक्षकार कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध है कि खसरा नंबर 141 में न तो रेस्पो0 संख्या 2 व 3 एवं उपरोक्त अंकित नामित व्यक्तियों के हित, अधिकार, स्वत्व निहित नहीं है । धारा 135 (2) में अपीलांटस को बिना सुने तहसीलदार, अरांई

द्वारा आदेश पारित किये गये है एवं उपरोक्त आदेश की जानकारी होते हुए अपीलांटस द्वारा सक्षम न्यायालय में उपरोक्त आदेश को चुनौती दी गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं अपीलांटस द्वारा तहसीलदार से सूचना के अधिकार के तहत उक्त तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत की प्रति हेतु आवेदन किया गया था जिस पर तहसीलदार, अरांई द्वारा जवाब दिया गया कि मूल वसीयत की प्रति रेस्पो0 संख्या 2 व 3 व अन्य के पास है जिसकी प्रमाणित प्रति नहीं दी जा सकती है । इन तथ्यों का भी अधी0न्याया0 को संपूर्ण ज्ञान था था इसके बावजूद अपनी विवेकिय शक्तियों को दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है एवं यदि यथास्थिति के आदेश पारित नहीं किये गये तो रेस्पो0 संख्या 2 व 3 एवं अन्य द्वारा अपीलांट को मौके से बेदखल कर दिया जावेगा जिससे अपीलांटस द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आरदेश निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद रखी जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 148, आर0बी0जे0 2010 पेज 178, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 95, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 14 एवं आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 500 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 तथा उनके परिवारजन का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसी कारण खसरा गिरदावरियों में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज है । विवादित आराजी अप्रार्थी जोरसिंह ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 को वसीयत की थी जिसके आधार पर नामांतकरण की सम्यक कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई एवं दिनांक 13.6.2017 को आदेश पारित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया जावे । अपंजीकृत वसीयत के लिये दो गवाह जरूरी है । अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में लगान रसीदें होने का कथन किया है किन्तु केवल मात्र तीन रसीदे पेश की है जिससे उनका विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता है । विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णित करने हेतु मुख्य रूप से तीन बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को देखा जाना आवश्यक है । अपीलांटस ने विवादित आराजी के संबंध में लगान की रसीदें क्रमशः दिनांक 6.1.1994, 7.1.1995 एवं 7.1.1999 पेश की है । इन लगान की रसीदों से अपीलांटस का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है । इसके विपरीत रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने विवादित आराजी स्व0 जोरसिंह द्वारा उनके पक्ष में वसीयत करना बताते हुए आराजी पर स्वंय का कब्जा होने का कथन किया है । विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है अथवा नहीं तथा रेस्पो0 को अपंजीकृत वसीयत से क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का बाद साक्ष्य वाद में निस्तारण किया जावेगा किन्तु अपीलांटस प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के

बिन्दुओं को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.7.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर